बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–6ए / प्राक्क01–10201 / 2019–379(mio) पटना, दिनांक–13/02/2026

सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी,
प्रशासनिक एवं वित्तीय विंग,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।

विषयः– **वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–सबमिशन योजना के अंतर्गत बक्सर जिला में सिमरी एवं बक्सर प्रखंडों के अत्यधिक आर्सेनिक प्रभावित 130 ग्रामों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना के परिचालन एवं रख–रखाव हेतु राज्यांश मद से 69.50 लाख (उनहत्तर लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि की विमुक्ति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम)–सबमिशन योजना अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में बक्सर जिला में सिमरी एवं बक्सर प्रखंडों के अत्यधिक आर्सेनिक प्रभावित 130 ग्रामों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक–6 / ज02–104 / 2008–445 दिनांक–30.03.2008 द्वारा कुल 11257.00 लाख रूपये (एक अरब बारह करोड़ सन्तावन लाख रुपये मात्र) की राशि पर स्वीकृत योजना का पुनरीक्षण कर प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक–6ए / प्राक्क01–10201 / 2019–838, दिनांक–21.04.2020 के द्वारा 16803.00 लाख रूपये (एक अरब अड़सठ करोड़ तीन लाख रूपये) मात्र एवं पुनः पत्रांक–6ए / प्राक्क01–1284 / 2023–275, दिनांक–11.02.2025 के द्वारा 20270.5547 लाख रूपये (दो अरब दो करोड़ सत्तर लाख पचपन हजार चार सौ सत्तर रूपये) मात्र की राशि पर प्रदान की गई है। इस योजना पर होने वाले अतिरिक्त पुनरीक्षित राशि का वहन केन्द्र प्रायोजित योजना के राज्यांश मद से किया जाना प्रस्तावित है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर के द्वारा राशि की अधियाचना की गई है। प्राप्त अधियाचना के आलोकं में बक्सर जिला में सिमरी एवं बक्सर प्रखंडों के अत्यधिंक आर्सेनिक प्रभावित 130 ग्रामों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना के परिचालन एवं रख–रखाव हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0एल0 खाता में **NRDWP** के राज्यांश मद की उपलब्ध निधि से **निम्न तालिका** के अनुसार **69.50 लाख (उनहत्तर लाख पचास हजार रूपये)** मात्र की राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल	राज्यांश मद में स्वीकृत राशि	राज्यांश मद में अबतक विमुक्त राशि	विमुक्त राशि (लाख रूपये में)			
				सामान्य	अनु0 जाति	कुल	शब्दों में
1.	बक्सर	11827.8047	11465.15268	58.00	11.50	69.50	उनहत्तर लाख पचास हजार रूपये मात्र।

अनुरोध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर को **राज्यांश मद में** उक्त राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से विमुक्त की जाय।

विश्वासभाजन

13/2/20

(दया शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)

ज्ञापांक–6ए / प्राक्क01–10201 / 2019–379 (मा0) पटना, दिनांक– 13/02/2020

1. प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

i. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत राज्यांश मद में पी0एल0 खाता के माध्यम से उक्त विमुक्त राशि से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाए।

ii. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

iii. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

2. प्रतिलिपि–सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, के आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

4. प्रतिलिपि–सचिव, के प्रधान आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

5. प्रतिलिपि–क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रक्षेत्र–पटना / अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. प्रतिलिपि–मुख्य अभियंता (उत्तरी बिहार / दक्षिणी बिहार) / संयुक्त सचिव (प्र0को0) / बजट पदाधिकारी / अधीक्षण अभियंता (मो0) / कार्यपालक अभियंता (मो0–2) / कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या–10 / आई0टी0 मैनेजर, / प्रशाखा पदाधिकारी–6 / रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0स्वा0अभि0विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/2/20

(दया शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)